न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 21/23 सन् 2023

GCMS NO-2023/ 126

बउनवानीः—1. बाबूलाल पुत्र कल्याण मीना तहसील सवाईमाधोपुर
2. श्रवण मीना पुत्र कल्याण मीना सवाईमाधोपुर
3. जगदीश पुत्र कल्याण मीना निवासी बालापुरा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सावंलिया पुत्र औंकार मीना निवासी बालापुरा तहसील सवाईमाधोपुर
2. गोकल पुत्र करणा मीना निवासी बालापुरा तहसील सवाईमाधोपुर
3. बृजपाल पुत्र करण मीना निवासी बालापुरा तहसील सवाईमाधोपुर
4. धोली पुत्री करण मीना पत्नि मोहन लाल मीना निवासी बालापुरा हाल निवासी खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर
5. गोविन्दा पुत्र रामनरायण मीना निवासी बालापुरा तहसील सवाईमाधोपुर
6. सहायक भूप्रबंध अधिकारी सवाईमाधोपुर
7. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध सहायक भूप्रबंधक अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 86 दिनांक 17.04.1997 वाके ग्राम बालापुरा (फलोदी) अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. राधेश्याम वैष्णव — वकील अपीलान्टगण
2. श्री धर्मचन्द जैन/श्री बच्चू सिंह जाट — वकील रेस्पो0

—: निर्णय :— दिनांक 25.2.2026

अपील अपीलान्ट ने सहायक भूप्रबंध अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 86 दिनांक 17.4.1997 वाके ग्राम बालापुरा (फलोदी) तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने से खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट का सजरा क्रमशः श्योबक्स जो कि अपीलान्ट के दादा थे तथा श्योबक्स के अपीलान्ट एवं रेस्पो के पिता क्रमश औंकार, करणा, कल्याण एवं रामनारायण थे। रामनारायण का पुत्र गोविन्दा एवं उंकार का पुत्र सावंलिया था तथा करणा के दो पुत्र क्रमशः गोकल,बृजपाल, एवं एक पुत्री धोली एवं रूकमणी पत्नि थी तथा कल्याण के पुत्र क्रमश बाबूलाल,श्रवण,जगदीश,एवं पत्नि पाना थी। मृतक औंकार करणा, पुत्रान श्योबक्स तथा कल्याण पुत्र श्योबक्स के स्थान पर भूमि ख0न0 508/673,508/674 रकबा 10 बीघा का विरासत का नामा0 संख्या 86 दिनांक रेस्पो0 नम्बर 1 का 1/4 भाग व करण कल्याण पुत्रान श्योबक्स का 1/2 भाग, गोविन्दा पुत्र रामनारायण के नाम 1/4 भूमि का नामा0 दिनांक 17.4.1997 को सही रूप से सहायक भूप्रबंध अधिकारी द्वारा खोला गया था तथा दूसरा नामा0 86 दिनांक 17.4.1997 को भरते समय भूमि ख0न0 508/674/2 रकबा 3बीघा 10 बिस्वा दुसरा ख0न0 508/669–691/9/2 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा तथा ख0न0 5 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम फलोदी मे स्थित भूमि का नामा0 स्वीकृत करते समय उंकार पुत्र श्योबक्स तथा गोविन्दा पुत्र रामनारायण, उंकार, कल्याण, पुत्रान श्योंबक्स का नामा0 वारिसान के नाम अपीलान्ट के पिता कल्याण तथा करणा के

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वारिसान के गोकल रेस्पो0 बृजपाल,धोली पुत्री गोविन्दा पुत्र रामनारायण के नाम उक्त भूमि का नामा0 रेस्पो. नम्बर 1 के प्रत्यर्थी क्रमांक 5 ने अमीन से मिलकर अपीलान्ट तथा रेस्पो0 नम्बर 1 लगायत 4 के हिस्से की भूमि का नामा0 करणा के स्थान पर सम्पूर्ण भूमि का नामा0 अपीलान्ट तथा रेस्पो0 संख्या 2,3,4, को बिना नोटिस दिये रेस्पो0 नम्बर 1 ने चुपचाप अमीन व प्रत्यर्थी क्रमांक 5 से फर्जी तरीके से प्रमाणित करा दिया जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट तथा रेस्पो0 नम्बर 2,3,4 के हिस्से सम्पूर्ण भूमि का नामा0 रेस्पो0 संख्या 1 ने धोखाधडी पूर्वक अपने नाम खुलवा लिया है। उक्त नामा0 की जानकारी दिनांक 13.8.2023 को प्राप्त होने पर उक्त नामा0 की नकल हेतु दिनांक 14.8.2023 को नकल प्रार्थना पत्र दिया तथा दिनांक 14.8.2023 को ही नामा0 नकल मिलने परः जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा–5 के पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया।

वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसके किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है क्योकि खाता संख्या 98 के कुल किता 5 खसरा रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा के 1/4 हिस्से की विरासत का नामा0 मृतक ऊंकार के बजाय सावंलिया के नाम तस्दीक किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अपीलान्ट के हिस्से की भूमि का नामा0 रेस्पो. संख्या 1 के नाम नही खोला गया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट के अनुसार सहायक भूप्रबंध अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा मृतक ऊंकार की विरासत खाता संख्या 98 के कुल किता 5 खसरा कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा का आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 86 निर्णय दिनांक 17.4.1997 से अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 के हिस्से की भूमि का रेस्पो0 संख्या 1 सावंलिया के नाम दर्ज फैसल कर दिया। जबकि मूल नामा0 का अवलोकन करने पर नामा0 संख्या 86 के कॉलम संख्या 7 में गोविन्दा पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/4 एवं ऊंकार, करना, कल्याण पिता श्योबक्स हिस्सा बराबर 3/4 मे से ऊंकार के फोत होने पर उसकी विरासत का सावंलिया पुत्र ऊंकार के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज कर शेष बदस्तूर रखा गया है। अर्थात 1/4 हिस्सा गोविन्दा पुत्र रामनरायण एवं 1/2 हिस्सा करना, कल्याण पुत्र श्योबक्स के नाम रहा है। इस प्रकार आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है या तो उक्त नामा0 संख्या 86 का राजस्व रिकार्ड मे अमल नही हुआ अथवा गलत अंकन किया गया है। यद्यपि आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है किन्तु उक्त नामा0 का राजस्व अभिलेख मे अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार सवाईमाधोपुर को भिजवाया जाना उचित समझते है।

अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 86 दिनांक 17.4.1997 वाके ग्राम बालापुरा (फलोदी) के अनुसार खाता संख्या 98 के कुल किता 5 खसरा कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा का राजस्व रिकार्ड मे अमल नही होने के संबंध मे जॉच करवायी जावे। यदि उक्त नामा0 का राजस्व अभिलेख मे अमल नही हुआ है तो अब नियमानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल की कार्यवाही करवायी जावे। पत्राावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.2.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner